बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक– 2275 पटना, 24/4/2020

दिनांक–

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से.
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो चालकों, ई–रिक्शा चालकों, रिक्शा चालकों, ठेला चालकों आदि का राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होने से हो रही कठिनाई को देखते हुए वंचित लोगों का सर्वे कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शहरी इलाकों के ऑटो चालकों, ई–रिक्शा चालकों, रिक्शा चालकों, ठेला चालकों का राशन कार्ड नहीं होने के कारण इनके समक्ष राशन की समस्या उत्पन्न हो गयी है। दिनांक–21.04.2020 को संपन्न आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों को जिन्हें राशन कार्ड नहीं है का सर्वेक्षण सूची तैयार की जाय।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि उनके जिला अंतर्गत परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो रिक्शा, ई–रिक्शा, ठेला चालक, रिक्शा चालकों का सर्वेक्षण कराया जाए एवं कराये जा रहे सर्वेक्षण में इनका नाम भी सम्मिलित किया जाए ताकि कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉक–डाउन में दिये जा रहे राहत से इन्हें आच्छादित किया जा सके।

विश्वासभाजन,
24/4
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक— पटना,

दिनांक—

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से.
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :— **कोविड—19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो चालकों, ई—रिक्शा चालकों, रिक्शा चालकों, ठेला चालकों आदि का राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होने से हो रही कठिनाई को देखते हुए वंचित लोगों का सर्वे कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शहरी इलाकों के ऑटो चालकों, ई—रिक्शा चालकों, रिक्शा चालकों, ठेला चालकों का राशन कार्ड नहीं होने के कारण इनके समक्ष राशन की समस्या उत्पन्न हो गयी है। दिनांक—21.04.2020 को संपन्न आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों को जिन्हें राशन कार्ड नहीं है का सर्वेक्षण सूची तैयार की जाय।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि उनके जिला अंतर्गत परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो रिक्शा, ई—रिक्शा, ठेला चालक, रिक्शा चालकों का सर्वेक्षण कराया जाए एवं कराये जा रहे सर्वेक्षण में इनका नाम भी सम्मिलित किया जाए ताकि कोविड—19 के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉक—डाउन में दिये जा रहे राहत से इन्हें आच्छादित किया जा सके।

विश्वासभाजन,
ह०/—
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 2275 पटना, दिनांक—24/4/2020

प्रलिलिपि— सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।